भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1774

दिनांक 13.03.2013/ 22 फाल्गुन, 1934 (शक) को उत्तर के लिए

वर्मा पैनल की सिफारिशें

1774. श्री संजय राउत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्मा पैनल ने कानूनों में आमूल-चूल परिवर्तन करने और कड़ी शास्तियों की सिफारिश की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) कितनी सिफारिशों के कार्यान्वयन पर विचार किया गया है; और
(घ) इन सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार न करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.सिंह)

(क) से (घ) : न्यायमूर्ति जे.एस.वर्मा समिति ने, महिलाओं के अपराध के संबंध में और कड़े दण्ड का प्रावधान करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन किए जाने की सिफारिश की। न्यायमूर्ति वर्मा समिति द्वारा प्रस्तावित अधिकांश संशोधनों को दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 में शामिल किया गया है।

दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 में 22 खण्ड हैं। इनमें से 11 खण्ड, लंबित दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक से या तो पूर्णतः या काफी हद तक लिए गए हैं। लंबित दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक के प्रावधानों तथा न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों में व्यापक तौर पर एकरुपता है। शेष रहे खण्ड भी न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों को परिलक्षित करते हैं।

न्यायमूर्ति वर्मा समिति की कुछ सिफारिशों को अध्यादेश में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उन मुद्दों पर मतों में अन्तर था। कुछ प्रमुख विवादास्पद मुद्दे थे:

- **जहां शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच वैवाहिक संबंध हो, वहां सहमति की परिकल्पना (‘वैवाहिक बलात्कार’ का मामला)**
- **इस पर मत अलग-अलग हैं कि क्या “नाबालिग का बलात्कार” संबंधी अपराध को परिभाषित करने के लिए आयु 16 वर्ष या 18 वर्ष होनी चाहिए।**
- **“कमान उत्तरदायित्व का उल्लंघन” का अपराध घोषित किए जाने से संबंधित न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिश; दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) का संशोधन (दण्ड से संबंधित);**
- **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 में संशोधन**

इन मुद्दों पर और विचार विमर्श और चर्चा होनी अपेक्षित है। “वैवाहिक बलात्कार” और ‘नाबालिक की आयु तय करने’ से संबंधित मुद्दों पर, इस संबंध में कोई निर्णय लिए जाने से पहले सामाजिक दृष्टिकोण से और विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक है।

****